प्रपत्र–3

22

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

संख्या–824 / III(2)/08–43(एम0एल0ए0)/08

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24, मार्च, 2008

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2007–08 में 07 नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये 07(सात) कार्यो के लागत कुल रूपये 1072.62 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 1072.42 लाख (रूपये दस करोड़ बहत्तर लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम–5 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम–6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.70 लाख (रू0 सत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अंनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा। 2.2

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को सर्मपित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

17. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

१८. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.- 341/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- 07 कार्यो की सूची।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- (1)/।।।(2)/08-43(एम0एल0ए0)/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी बागेश्वर।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमाऊँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–824/ III(2)/08–43(एम0एल0ए0)/07 दिनांक24,मार्च, 2008 का संलग्नक। 2.2

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई	लागत लाख	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय की अनुमति	
1	2	3	4	5	6	
KA	जनपद बागेश्वर में काण्डा से सानिउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के किमी0 14–23 तक सुधारीकरण व डामरीकरण स्तर तक का कार्य	10.00	210.00	210.00	0.10	PDB
KA	जनपद बागेश्वर में सातचौरा–जल्थाकोट मोटर मार्ग के किमी0 1 से 3 तक मार्ग का सुधारीकरण व डामरीकरण स्तर तक का कार्य एवं किमी0 4 में आर.सी.सी. पुल निर्माण	3.00 +24मी0	138.00	138.00	0.10	PDB
KA	जनपद बागेश्वर में अमसरकोट–धारी–डांभा–गिरेछिना मोटर मार्ग के किमी0 11 के 15 तक नव निर्माण का कार्य Forest clear	5.00	153.00	152.80	0.10 (25.00)	PDB
KA	जनपद बागेश्वर में बागेश्वर गिरेछिना मोटर मार्ग के किमी0 8 व 9 में ऊपरी सतह की मरम्मत व डामरीकरण स्तर तक का कार्य Forest Clea.	1.50	20.30	20.30	0.10 (20.00)	PDB
KA	जनपद बागेश्वर में बागेश्वर–गिरेछिना–अमसरकोट मोटर मार्ग का 7 रतवे तक विस्तार कार्य Forest clear	2.00	61.00	61.00	0.10 (30.00)	PDB
KA	जनपद बागेश्वर में देवलधार–मैंथान–लेटी–गिरेछिना मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य	12.00	441.00	441.00	0.10	PDB
B	जनपद बागेश्वर में चनैली–बेदीबगड़–जंगलनदी पर हरज्यू मंदिर के पास 36 मी0 स्टील गर्डर पुल निर्माण	36मी0	49.32	49.32	0.10	PDB
	कुल योगः–		1072.62	1072.42	0.70	

(रूपये सत्तर हजार मात्र)

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

125 पी0 दि0 3/3 ... 366/2020 ... दि0 25.3.08

ह0/-
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0लो0नि0वि0 अल्मोड़ा
अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, अल्मोड़ा
बजट वर्ग / प्राविधिक वर्ग,

25/03/08

पत्रांक 1751 / ... / ... – 01/08 दि0 31/3/08

प्रतिलिपि उपरोक्त ... को सूचनार्थ प्रेषित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर